an>

Title: Need to provide financial assistance to the farmers of Rajasthan facing crop-failure due to frost and cold wave from Calamity Relief Fund.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ) के अंतर्गत देय सहायता के लिए अनुमोदित 10 प्राकृतिक आपदाओं की सूची में कूछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे शीतलहर, लू एवं गर्म लहर, पाला आदि जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है, को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान में खरीफ की फसल के समय अकाल एवं रबी की फसल के समय पाला और शीत लहर की मार से राजस्थान का किसान हर वर्ष पीड़ित रहता है। सी.आर.एफ के अंतर्गत अकाल को स्थान तो दिया गया है, परन्तु शीत लहर व पाला जैसी गंभीर आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है। इस वर्ष शीत लहर व पाला ने रबी की फसल सरसों, चना, तारामीरा, धनिया, जौ, सब्जियों आदि को नष्ट कर दिया है, जिससे किसान की कृषिगत अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान को राहत प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, वर्तमान नियमों में यह संभव नहीं है। अतः मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पाला एवं शीत लहर को 10 अधिसूचित आपदाओं में शामिल करते हुए शीत लहर से प्रभावित राजस्थान के किसानों को सरसों, चना, आदि फुसलों के लिए मुआवजा आदि प्रदान करने की व्यवस्था करवायें ताकि किसान बर्बाद होने से बच सके।